उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-01/2019/680/94-स्टा०नि०-2-2019-700(28)/2018

लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2019

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 के प्रस्तर-5.1.1 में यथाउपबन्धित रूप से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनूसूची के स्तम्भ-4 में यथा-उल्लिखित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक, छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति 2018	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
शीर्षक वित्तीय प्रोत्साहन निवेश आकर्षण के अधीन प्रस्तर-5.1.1	पात्र औद्योगिक इकाईयों (खादी और ग्रामोद्योग इकाईयों) को उपर्युक्त नीति के जारी रहने के दौरान केवल प्रथम संव्यवहार के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट- 1- पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 2- पश्चिमांचल क्षेत्र में	100 प्रतिशत 75 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा

2. परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का जिलास्तरीय प्राधिकृत अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ''पूर्वांचल'' में इलाहाबाद, वाराणसी, मीर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। ''मध्यांचल'' में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। ''बुन्देलखण्ड'' में चित्रकूटधाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। ''पश्चिमांचल'' में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, और बरेली राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2019/680/94-स्टा०नि०-2-2019-700(28)/18, दिनांक 18 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 18-01-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2019/680/94-स्टा०नि०-2-2019-700(28)/18, दिनांक 18 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।**
2. **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
3. **अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।**
4. **प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।**
5. **आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
6. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
7. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
8. **सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।**
9. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
10. **समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षकनिबंधन, उत्तर प्रदेश।**
11. **समस्त सहायकआयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षकनिबंधन, उत्तर प्रदेश।**
12. **विधायी अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन।**
13. **भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।**
14. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.01/2019/680/94-S.R.-2-2019-700 (28)/2018, Dated, 18 January, 2019

Notification

Order

No.-01/2019/680/94-S.R.-2-2019-700 (28)/2018

Lucknow Dated, 18 January, 2019

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) as provided in paragraph 5.1.1 of the U.P. Khadi and Village Industries Development and Continuous self-Employment Policy-2018, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent mentioned in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments, mentioned in column-4 of the said Schedule for the purpose mentioned in column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

U.P. Khadi and Village Industries Development and Continuous self-Employment Policy 2018	**Purpose and other Detail**	**Extent of remission**	**Nature of Instrument and Article number of Schedule-1-B**
1	2	3	4
Under heading Attracting Financial Promotion Investment Paragraph 5.1.1	Stamp duty exemption to eligible industrial units (Khadi and Village industrial units) during the continuation of the above policy for the first transaction only- 1. In Poorvanchal, Madhyanchal and Bundelkhand area. 2. In Pashchimanchal area.	 100% 75%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.

2- Provided that the remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the District level authorized officer of the Khadi and Village Industries Department of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

Explanation- For the purpose of this notification :-

" Poorvanchal " shall include the revenue divisions of Allahabad, Varanasi,Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Faizabad and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions ofLucknow and Kanpur. "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of ChitrakootDham and Jhansi. "Paschimanchal" shall include the revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Meerut, Saharanpur and Bareilly.

By Order

Himanshu Kumar,
PramukhSachiv

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।